

## अध्याय 26

### आरक्षण

लम्बी दूरी के यात्रियों के लिये रेल प्रशासन द्वारा सीट/बर्थ के आरक्षण की तथा पूरे डिब्बे/पूरी गाड़ी के आरक्षण की सुविधा उपलब्ध की गई है। सीट /बर्थ के आरक्षण तीन प्रकार से किया जाता है -

1. कम्प्यूटर द्वारा
2. मैनुअल
3. टेली बुकिंग

---

#### कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण

---

भारतीय रेलों में प्रतिदिन लगभग 6.5 लाख सीटों/ बर्थ का आरक्षण होता है। इसमें कई प्रकार की गाड़ियों का परिचालन, विभिन्न प्रकार के डिब्बों का उपयोग, विभिन्न प्रकार के आरक्षण व कोटा तथा लगभग 158 प्रकार की विभिन्न रियायत वाले टिकटों का आरक्षण होता है। इसी प्रकार दूरी, सीधे व तीव्रतम रूट, ट्रेन के प्रकार, ट्रेन के रूकने के समय इत्यादि पर आधारित किराये की गणना करना एक जटिल कार्य है। इन जटिलताओं तथा विभिन्नताओं को दूर करने तथा यात्रियों को शीघ्र व सही आरक्षण प्रदान करने के लिये कम्प्यूटर आधारित पैसेन्जर रिजर्वेशन सिस्टम (पी आर एस) की स्थापना की गई है। आरक्षण के लिये उपलब्ध कुल सीटों/ बर्थों में से 94% का आरक्षण इस प्रणाली द्वारा किया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली फरवरी 1986 से 5 क्षेत्रीय केन्द्रों पर लगे कम्प्यूटरों द्वारा संचालित की जा रही थी। इन केन्द्रों से उस क्षेत्र में चलने वाली गाड़ियों तथा उस क्षेत्र के शहरों पर उपलब्ध आरक्षण सम्बन्धी समस्त कार्य संचालित होता था। दूसरे पी आर एस के काउन्टर सीमित संख्या में एक्सचेंज टर्मिनल का उपयोग करते हुए उपलब्ध कराए जाते थे। यह सुविधा फिर भी यात्री की माँग को संतुष्ट करने में असमर्थ थी क्योंकि यात्री 'सिगल विन्डो सुविधा' चाहता था।

इस लक्ष्य को पाने के लिए, भारतीय रेलवे ने पाँचों पी आर एस नेटवर्क को आपस में जोड़ने का निश्चय किया। इसके लिये नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के विकास व नेटवर्किंग करने का कार्य 'सेन्टर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ( क्रिस )' को सौंपा गया। क्रिस ने नयी 'ऑन लाइन यात्री आरक्षण प्रणाली ' विकसित की जिसका नाम 'कॉन्सर्ट' रखा गया। 18 अप्रैल 1999 से पाँचों पी आर एस आपस में जोड़ दिये गये हैं तथा यूनिवर्सल टर्मिनल उपलब्ध कराए गये हैं, जिसके साथ ही भारतीय रेलवे में एक नये युग की शुरुआत हुई है। आज किसी भी यात्री आरक्षण केन्द्र से भारतीय रेलवे में किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है।

इस प्रणाली से निम्न कार्य किये जाते हैं -

- यात्रा आरक्षण (फॉर्म 1)
- रियायती आदेशों पर आरक्षण (फॉर्म2)
- इन्चर्ड मैसेज़ पर आरक्षण (फॉर्म 3)
- रिटर्न जर्नी आरक्षण (फॉर्म 4)
- निरस्तीकरण
- मोडिफिकेशन

- स्पेशल फंक्शन
- इन्क्वायरी
- ऑटोमेक्स मैसेज

---

## मैनुअल सिस्टम

---

मैनुअल सिस्टम में केवल उसी स्टेशन से सम्बन्धित आरक्षण, निरस्तीकरण, चार्टिंग इत्यादि कार्य किये जा सकते हैं। यह प्रणाली केवल छोटे स्टेशनों पर ही जारी हैं जहाँ आरक्षण सम्बन्धी कार्य बहुत कम हैं। इस प्रणाली में कार्ड टिकटों, रजिस्ट्रों, व हस्तलिखित या टाइप किये हुए चार्टों का प्रयोग होता है।

---

## टेली बुकिंग

---

भारतीय रेलवे पर टेलीबुकिंग सेवा 29 जून 1999 से आरम्भ की गई है। रेलवे और स्टेन्डर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से जारी रेल क्रेडिट कार्डों के जरिये यात्री टेलीफोन पर अपना टिकट बुक करवा गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे पूर्व विशेष-काउन्टर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

टेली बुकिंग सेवा के जरिये जारी प्रति टिकट पर 50रु का सेवा शुल्क लगेगा चाहे उस टिकट पर कितने भी यात्री यात्रा कर रहे हो।

---

## सीट/ शायिका के आरक्षण के नियम

---

किसी भी गाड़ी में जिसमें आरक्षित डिब्बे लगे हो ऐसी गाड़ियों में आरक्षण के लिये भारतीय नागरिक यात्रा के दिन को न गिनते हुए अधिकतम 90 दिन पूर्व तक तथा विदेशी नागरिक 360 दिन पूर्व तक अपना आरक्षण करवा सकते हैं।

आरक्षण 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धान्त पर किया जाता है। रेल प्रशासन आरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं देता है। यदि किसी यात्री को आरक्षित टिकट प्रदान कर दिया गया है, यात्रा वाले दिन उसे आरक्षित स्थान नहीं मिल पाने की परिस्थिति में उसे पूरा धन लौटा दिया जाएगा।

आरक्षण सभी श्रेणियों में किया जाता है। आरक्षण हेतु यात्री के पास टिकट का होना आवश्यक है।

बच्चे की टिकट, कन्सेशन पर जारी की गई टिकटों को आरक्षण हेतु पूरा टिकट माना जाएगा। इन्हें पूरी सीट या बर्थ दी जाएगी तथा इनसे आरक्षण शुल्क व अन्य शुल्क पूरे ही लिये जाएंगे।

---

## टेलीफोन पर आरक्षण

---

टेलीफोन पर आरक्षण नहीं किया जाता है लेकिन आरक्षण की उपलब्धता की जानकारी टेलीफोन पर दी जा सकती है। टेलीफोन की जानकारी पर कोई भी व्यक्ति आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। आरक्षण कराने के लिये यात्री को आरक्षण कार्यालय आना होगा।

लेकिन एच.ओ.आर. तथा संसद सदस्य, रेलवे अधिकारियों तथा रेलवे क्रेडिट कार्ड धारक को टेलीफोन पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। इन्हें टेलीफोन पर आरक्षण करवाने के 24 घंटे के अन्दर या गाड़ी छूटने के 24 घंटे पूर्व तक जो भी समय पहले आता हो, लिखित में इसका पु-टिकरण करना आवश्यक है अन्यथा आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा।

---

## आरक्षण फॉर्म

---

आरक्षण करवाने हेतु यात्रियों को निर्धारित फॉर्म पर आवेदन करना होगा। यह फॉर्म रेल प्रशासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। एक फॉर्म में किसी पार्टी/परिवार के अधिकतम 6 सदस्यों के नाम लिखे जा सकते हैं। इस फॉर्म के मुखपृष्ठ पर स्टेशन से स्टेशन को, यात्रा की तिथि, गाड़ी का नाम व नम्बर, श्रेणी, सीट/शायिकाओं की संख्या, यात्रियों का नाम, उम्र, सेक्स, आरक्षण करवाने वाले का नाम व पता, टेलीफोन नम्बर तथा हस्ताक्षर इत्यादि लिखे जाते हैं।

यदि साथ में कोई पाँच वर्ग से कम आयु का बच्चा भी यात्रा कर रहा है तो उसका नाम भी आरक्षण माँगपत्र में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उससे कोई किराया नहीं लिया जाएगा तथा आरक्षण का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

प्रत्येक फॉर्म को काउन्टर पर क्रमवार नम्बर दिये जाते हैं तथा स्टेशन पर रिकार्ड के रूप में रखे जाते हैं। इसके मुख पृष्ठ पर आरक्षण लिपिक द्वारा यात्री को दिये जाने वाले आरक्षण की जानकारी जैसे सीट/बर्थ नं., कोच नं., पी एन आर नं., यात्रा टिकट नं., आरक्षण व सुपरफास्ट टिकट नं. इत्यादि विवरण लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है।

आरक्षण खिडकी पर एक व्यक्ति से केवल एक ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, पर वापसी यात्रा के मामले में दो फॉर्म स्वीकार किये जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अधिक आरक्षण चाहिये तो उसे दुबारा लाइन में आना पड़ेगा अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

---

## आरक्षित टिकट

---

आरक्षण रजिस्टर में यात्री का नाम, लिंग व आयु लिखने के पश्चात दिये जाने वाले सभी टिकटों के पीछे कोच नं., सीट/बर्थ नं., गाड़ी नं., यात्रा की दिनांक व टिकट का विवरण लिखे जाते हैं। कम्प्यूटर टिकट पर ये विवरण छप जाने पर यात्री को जारी किया जाता है।

प्राथमिकता के आधार पर यात्रियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक स्टेशन पर आरक्षण का एक निर्धारित कोटा होता है। उस निर्धारित कोटे के विरुद्ध पक्का आरक्षण किया जाता है जब यह कोटा पूरा हो जाता है तो बर्थ आरक्षण के मामले में आर.ए.सी. (रिजर्वेशन अगेंस्ट केन्सीलेशन) प्रदान की जाती है। जब आर.ए.सी. कोटा पूरा हो जाता है तो प्रतीक्षा सूची के टिकट जारी किये जाते हैं। आर.ए.सी. व प्रतीक्षा सूची के टिकट जारी करने से पहले यात्री से स्वीकृति ले ली जाएगी।

---

## कन्फर्म आरक्षण

---

यह आरक्षण यात्रियों को प्राथमिकता (कोटे के अर्न्तगत) के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा आरक्षण प्रदान करते समय यात्री से किराया, आरक्षण शुल्क, संरक्षा सरचार्ज, सुपरफास्ट शुल्क (यदि देय हो तो) तथा अन्य सभी प्रकार के शुल्क पहले से ही लिये जाएंगे तथा इन्हे सीट नं. व कोच नं. की जानकारी पहले से ही दे दी जाएगी।

---

## आर.ए.सी. (रिजर्वेशन अगेंस्ट केन्सीलेशन )

---

जिन यात्रियों को कन्फर्म आरक्षण नहीं मिलता है ऐसे यात्रियों को आर.ए.सी. में आरक्षण प्रदान किया जाता है। आर.ए.सी. वाले यात्रियों को कोच व बर्थ नं. चार्ट बनाते समय प्रदान की जाती है। चार्टिंग के बाद प्राथमिकता कोच के अनुसार हो जाएगी। जिन स्टेशनों से पूरा कोच लगाया जाता है, उसमें निर्धारित आर.ए.सी. का कोटा होता है जो प्रत्येक कोच में निम्नानुसार होता है।

2AC	:	4
FC	:	4
SL (BG)	:	10
SL (MG)	:	8

इन यात्रियों के लिये बैठने की व्यवस्था की जाती है और बर्थ खाली या निरस्त होने पर आर.ए.सी. के यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाती है।

### **प्रतीक्षा सूची**

जब पक्का आरक्षण या आर.ए.सी. कोटा पूरा हो जाता है तो यात्री का नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज किया जाता है। प्रतीक्षा सूची की सीमा -

ACFC व Executive	30
2AC	100
FC	30
AC3T/ACChair car	300(गाड़ी में केवल एक डिब्बा होने पर 75)
SL	400

आरक्षण या आर.ए.सी. निरस्त होने पर आर.ए.सी. व प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे ही चार्ट ट्रेन कन्डक्टर के पास पहुँचता है, यह प्राथमिकता कोच के अनुसार हो जाती है।

### **आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क व डैवलपमेंट चार्ज**

आरक्षण कराते समय टिकट की श्रेणी अनुसार आरक्षण शुल्क व सेफ्टी सर्चार्ज लिये जाते हैं, अगर गाड़ी सुपरफास्ट है तो सुपरफास्ट शुल्क भी श्रेणी अनुसार लिये जाएंगे जो कि निम्नलिखित है -

श्रेणी	आरक्षण शुल्क रु.	बढ़े हुए आरक्षण शुल्क	सुपरफास्ट शुल्क रु.	डैवलपमेंट चार्ज	
				500 कि.मी तक	500 किमीसे अधिक
ACFC	35/-	50/-	50/-	50/-	100/-
2 AC	25/-	40/-	30/-	40/-	80/-
3 AC	25/-	40/-	30/-	30/-	60/-
FC	25/-	40/-	30/-	20/-	40/-
AC Chair Car	25/-	40/-	30/-	20/-	40/-
SL	20/-	30/-	20/-	10/-	20/-

2 M/E	15/- Per Seat	25/-	8/-	2/-	2/-
2 Ord	15/- Per Seat	25/-	-	1/-	1/-

नोट – राजधानी, शताब्दी और जनशताब्दी गाड़ियों में 15 रु द्वितीय श्रेणी में व 20 रु अन्य श्रेणियों में किराया बढ़ा कर लिया जायेगा।

आरक्षण शुल्क, डैवलपमेंट चार्ज व सुपरफास्ट शुल्क निम्नलिखित यात्रियों से नहीं लिये जाते हैं ---

- ◆ रेलवे पास धारी व्यक्तियों से
- ◆ किराये का अंतर देकर उच्चतर श्रेणी में यात्रा करने वाले रेलवे सुविधापास धारकों से
- ◆ पी टी ओ धारक से
- ◆ आइडेन्टिटी कार्ड कम रेलवे पास धारक संसद सदस्य से
- ◆ इन्डरेल पास धारक से
- ◆ आर.आर.बी. के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए एस.सी. व एस.टी अभ्यर्थियों को जारी बुलावा पत्र सह यात्रा प्राधिकार पत्र।
- ◆ आई ए एफ टी 1707 व 1752 मिलिट्री वारण्ट के धारकों से (नकद नहीं लिया जाता लेकिन वाउचर में जोड़ा जाता है)
- ◆ एच ओ आर धारकों से (नकद नहीं लिया जाता लेकिन वाउचर में जोड़ा जाता है)
- ◆ पुलिस वाउचर पर (नकद नहीं लिया जाता लेकिन वाउचर में जोड़ा जाता है)

## आरक्षण कोटा

आरक्षण कार्यालय द्वारा निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कोटों के अर्न्तगत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

- ☑ **सामान्य कोटा (GN)** -- इस कोटा का आरक्षण आरक्षण कार्यालय करता है तथा सभी प्रकार के व्यक्तियों को इनमें आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- ☑ **महिलाओं के लिये कोटा (LD)** -- इस कोटा का आरक्षण आरक्षण कार्यालय करता है तथा इसमें केवल महिलाओं या उनके साथ यात्रा कर रहे 12 वर्ग से कम आयु के बच्चों को इनमें आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- ☑ **एच ओ कोटा (HO)** -- इस कोटा का आरक्षण स्टेशन के उच्च अधिकारी या मंडल वाणिज्य प्रबन्धक या सी सी एम करते हैं तथा विशि-ट व्यक्तियों, गंभीर रोग से ग्रस्त रोगी, ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारी या आपातकालीन परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को इनमें आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- ☑ **फॉरेन टूरिस्ट कोटा (FT)** - इस कोटा का आरक्षण आरक्षण कार्यालय करता है तथा विदेशी पर्यटकों को पासपोर्ट के आधार पर इनमें आरक्षण प्रदान किया जाता है।

- ☑ **रोड साइड कोटा** - गाड़ी के प्रारम्भिक और गंतव्य स्टेशन के बीच के किसी स्टेशन से या किसी वाया वाले स्टेशन को आरक्षण कोटा दिया गया है, उसे रोड साइड कोटा कहते हैं। इसमें यात्री बीच वाले स्टेशन से ही बैठेगा।
- ☑ **आउट स्टेशन कोटा** - गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन से पहले किसी स्टेशन को आरक्षण का कोटा दिया गया है तो उसे आउट स्टेशन कोटा कहते हैं।
- ☑ **लिक कोटा** - गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन से यदि कोई कोटा आगे की किसी गाड़ी के लिये दिया गया है तो उसे लिक कोटा कहते हैं।
- ☑ **सी बी ओ/एजेन्सी कोटा (CBO/CBA)** -- यदि किसी सिटी बुकिंग ऑफिस/ एजेन्सी को आरक्षण कोटा दिया गया है तो इसके अर्न्तगत आरक्षण सिटी बुकिंग ऑफिस/ एजेन्सी द्वारा ही प्रदान किया जाता है।
- ☑ **एम सी ओ या डिफेन्स कोटा (DF)** - इस कोटा के अर्न्तगत सैनिकों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- ☑ **विकलांग कोटा(HD)** - स्लीपर श्रेणी में दो बर्थ केवल विकलांगों के लिये आरक्षित होता है। चार्ट बनने तक खाली रहने पर सामान्य आर.ए.सी./ प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को आवंटित कर दी जाएगी।
- ☑ **तत्काल कोटा (CK)** – यह कोटा सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों में रखा गया लें
- ☑ **वरिष्ठ नागरिक/लेडी 45 वर्ष व अधिक/प्रेगनेंट लेडी के लिये लोअर बर्थ का कॉमन कोटा** – जब वे अकेले यात्रा कर रहे हों।

---

**विभिन्न कोचों के संक्षिप्त नाम (Abbreviations from 01.07.2007) (CC 13/07)**

---

श्रेणी	संक्षिप्त नाम
ACFC	H
AC 2 T	A
AC 3 T	B
ACCh Car	C
II Class	D
Executive Class	E
FC	F
Garib Rath AC 3 T	G
Garib Rath Chair Car	J
Sleeper Class	S

---

## वापसी यात्रा व मध्यवर्ती स्टेशन से आगे की यात्रा हेतु आरक्षण

---

वापसी यात्रा तथा बीच के स्टेशन से आरक्षण के सामान्य नियम है। वापसी यात्रा तथा बीच के किसी स्टेशन आरक्षण के लिये रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित कोटा उपलब्ध कराया गया है। यदि आवेदन 72 घंटे पूर्व तक किया जाता है और यह कोटा सामान्य नियम के अनुसार समाप्त हो जाता है तो यात्री का आरक्षण मैसेज़ द्वारा करवाया जा सकता है।

मैसेज़ करवाने हेतु यात्री को यात्रा टिकट खरीदना आवश्यक है तथा रेल कर्मचारी द्वारा आरक्षण कंट्रोलिंग स्टेशन को (या गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन को) संदेश द्वारा यात्री का नाम, उम्र, सेक्स, स्टेशन से स्टेशन को, टिकट नं., यात्रा की तिथि, गाड़ी नं. की जानकारी दी जाती है।

यह संदेश कंट्रोलिंग स्टेशन को प्राप्त होते ही आरक्षण रजिस्टर में लिख देगा या कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण प्रदान कर देगा या जो भी स्थिति रही इसकी जानकारी संदेश जारी करने वाले स्टेशन को दे दी जाएगी। इस प्राप्त जानकारी को स्टेशन पर निर्धारित रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा।

यदि यात्री इस आरक्षण पर यात्रा नहीं करना चाहता है तो मैसेज़ या स्टेटमेंट द्वारा ही कंट्रोलिंग स्टेशन को जानकारी दी जाएगी तथा नियमानुसार केन्सीलेसन चार्ज काटे जाएंगे।

---

## पास पर आरक्षण के नियम व आरक्षण तिथि में परिवर्तन

---

सुविधा पास पर आरक्षण के सामान्य नियम है। पास पर करवाए गये आरक्षण की दिनांक में निम्नलिखित नियमों के अर्न्तगत परिवर्तन किया जा सकता है ---

- ✍ जिस गाड़ी के लिये पासधारक ने आरक्षण करवाया है उसमें उसका नाम आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूची में है तथा वह जिस गाड़ी में आरक्षण चाहता है उसमें आरक्षण उपलब्ध है या अन्य कोई परिस्थिति है तो उसे आरक्षण दिनांक में परिवर्तन की अनुमति है।
- ✍ यदि यह आरक्षण परिवर्तन गाड़ी छूटने के तीन दिन पूर्व किया जाता है तो निःशुल्क किया जाएगा। तीन दिन से कम होने पर व 24 घंटे पूर्व तक आरक्षण नियन्त्रण करने वाले अधिकारी की अनुमति आवश्यक है।
- ✍ यदि यह आरक्षण गाड़ी छूटने के पहले 24 घंटों के भीतर किया जा रहा है तो प्रथम श्रेणी 'ए' पास तथा प्रथम श्रेणी पास पर 15 रु तथा द्वितीय श्रेणी पास पर 5 रु केन्सीलेसन चार्ज लिया जाएगा। इस चार्ज के बदले अलग से एम.आर. जारी की जाएगी।
- ✍ आरक्षण परिवर्तन एम.आर. दिखाने पर ही किया जाएगा।
- ✍ पास पर आरक्षण परिवर्तन केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- ✍ विशेष परिस्थितियों में जैसे गाड़ी रद्द हो जाना आदि कारण पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होता है तथा परिवर्तन निःशुल्क या दुबारा किये जा सकते हैं।
- ✍ ऊचूटी पास पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होते हैं।

---

## आरक्षित टिकट पर दिनांक, गाड़ी, गंतव्य स्टेशन, श्रेणी में परिवर्तन

---

टिकट पर करवाये गये आरक्षण की दिनांक में परिवर्तन के निम्नलिखित नियम है --

- ✍ यह सुविधा आरक्षित/ आर.ए.सी./ प्रतीक्षा सूचीरत सभी यात्रियों को उपलब्ध है।
- ✍ यात्री जिस दिनांक में परिवर्तन चाहता है उस दिनांक में आरक्षण का कन्फर्म होना आवश्यक नहीं है।
- ✍ बाद में पड़ने वाले गंतव्य स्टेशन के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है।
- ✍ एक टिकट पर एक बार ही आरक्षण दिनांक परिवर्तन किया जाएगा।
- ✍ उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में परिवर्तन नहीं दिया जाएगा।
- ✍ निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु किराये का अंतर अग्रिम रूप से देना होगा।
- ✍ कन्फर्म आरक्षण टिकट पर दिनांक या गाड़ी में परिवर्तन यदि गाड़ी छूटने के 24 घंटे से अधिक पहले कराया जाता है तो आरक्षण शुल्क दुबारा लिये जाएंगे, यदि दिनांक परिवर्तन गाड़ी छूटने के 24 घंटे पहले से 4 घंटे पहले तक कराया जाता है तो 25 प्रतिशत राशि काटकर परिवर्तन किया जायेगा तथा यदि गाड़ी छूटने के पहले 4 घंटे के भीतर व निर्धारित किमी के अनुसार गाड़ी छूटने के 3 घंटों, 6 घंटों व 12 घंटे बाद 50 प्रतिशत राशि काटकर दिनांक परिवर्तन किया जायेगा।
- ✍ आर ए सी / प्रतीक्षा सूची प आरक्षण टिकट पर दिनांक या गाड़ी में परिवर्तन करते समय लिपिकीय प्रभार लिये जाएंगे।
- ✍ यदि आरक्षण का तिथि परिवर्तन किसी बाद की तिथि के लिये किया जा रहा है तो जो आरक्षण यात्री के पास है, उस आरक्षण की गाड़ी के छूटने के 24 घंटे पूर्व तक किया जा सकता है।
- ✍ यदि आरक्षण पूर्व की दिनांक में किया जाना है तो माँगी गई नई गाड़ी के छूटने के 6 घंटे पूर्व तक किया जा सकता है।
- ✍ यदि दिनांक परिवर्तन आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूची से किया जा रहा है तो यात्री से लिपिकीय प्रभार काटा जायेगा।
- ✍ यदि परिवर्तित आरक्षण पर यात्री यात्रा नहीं करता है व टिकट निरस्त करवाता है तो दो निरस्तीकरण प्रभार काटे जाएंगे। आरक्षण में परिवर्तन की तिथि को मूल आरक्षण रद्द करने की तिथि माना जाएगा तथा दूसरा तब जब वास्तविक रूप से आरक्षण रद्द कराया जाता है।

---

## महिलाओं के लिये आरक्षण

---

धारा 58 के अर्न्तगत सभी सवारी गाड़ियों में निम्न श्रेणी का एक डिब्बा महिलाओं के लिये लगाया जाएगा। ऐसे डिब्बे में सिर्फ महिलाएँ एवं 12 वर्न से कम आयु के बच्चे यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आरक्षित डिब्बे में कुछ सीटे या शायिकाएं केवल महिलाओं के लिये आरक्षित रखी जा सकती है।



---

## आरक्षण पर नाम परिवर्तन के नियम

---

आरक्षण पर नाम परिवर्तन के नियम निम्नलिखित है --

- ✍ यदि कोई यात्री किसी कारणवश आरक्षित टिकट पर यात्रा करने में असमर्थ है तो गाड़ी छूटने के 24 घंटे पूर्व सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा। सक्षम अधिकारी की अनुमति पर नाम परिवर्तन किया जा सकता है।
- ✍ नाम परिवर्तन की अनुमति परिवार के सदस्यों के लिये ही दी जाएगी। इसके लिये सक्षम अधिकारी के समक्ष परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि 24 घंटे पूर्व तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- ✍ यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी कारणवश यात्रा नहीं कर सकता है तो उसके स्थान पर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख के 24 घंटे पूर्व तक आवेदन करने पर अन्य सरकारी कर्मचारी का नाम परिवर्तन किया जा सकता है।
- ✍ यदि कोई गुप के साथ (विवाह की पार्टी या यात्रा पार्टी) यात्रा करता है तो 10% यात्रियों के नाम परिवर्तन 48 घंटे पूर्व तक आवेदन करने पर बिना किसी साक्ष्य के परिवर्तित किये जा सकते हैं।
- ✍ यदि नाम परिवर्तन बच्चे की जगह वयस्क का करना है तो किराये का अन्तर लिया जाएगा, लेकिन यदि वयस्क के स्थान पर बच्चे का करना है वयस्क के टिकट की धन वापसी कर नया टिकट जारी किया जाएगा।
- ✍ सीट/ बर्थ नम्बर, कोच नम्बर यथावत रहेंगे लेकिन यात्रा टिकट का नम्बर बदल जाएगा।
- ✍ नाम परिवर्तन करने के बदले कोई नये आरक्षण शुल्क नहीं लिये जाएंगे।

---

## अपग्रेडेशन स्कीम

---

गाड़ियों में उपलब्ध जगह का उच्चतम सीमा तक उपयोग करने की दृष्टि से यह स्कीम 24 फरवरी, 2006 से सभी मेल/एक्स. गाड़ियों में जिनमें सोने की सुविधा हो, लागू की गई थी। इस सेवा के मुख्य नियम निम्न हैं :-

- जिन गाड़ियों में केवल सिटिंग एकोमोडेशन है उन गाड़ियों में यह सुविधा लागू नहीं होगी।
- यह स्कीम केवल पूरा किराया देने वाले यात्रियों के लिये ही लागू होगी।
- ब्लॉक बुकिंग के लिये यह लागू नहीं होगी।
- अपग्रेडेशन चार्ट बनाते समय पी.आर.एस के द्वारा अपने आप ही किया जायेगा।
- अपग्रेडेशन होने के पश्चात यदि यात्रि अपना आरक्षण कैंसिल करता है तो कैंसिलेशन चार्ज मूल श्रेणी के अनुसार ही काटे जायेंगे।
- यदि अगली श्रेणी का कोई भी यात्री अपग्रेड नहीं होना चाहता है तो उससे अगली श्रेणी में भी यात्री को अपग्रेड किया जा सकता है।

- विभिन्न कोटा आवंटित करने के पश्चात अपग्रेडेशन किया जायेगा।
- अपग्रेडेशन ऑरिजनेटिंग स्टेशन या सभी मध्यवर्ती स्टेशन जहां से चार्ट बनता है पर ही किया जायेगा।
- अपग्रेडेशन तत्काल कोटे के यात्रियों सहित पुष्ट, आर.ए.सी.व वेटिंग लिस्ट यात्रियों का किया जा सकता है।
- प्रत्येक गाड़ि में निम्न संख्या तक ही करेंट बुकिंग के लिये शायिकाएं खाली रखी जायेंगी—
  - ✓ ए.सी.एफ.सी 1
  - ✓ ए.सी.एफ.सी.कम एसी.टू.टियर 1
  - ✓ एसी.टू.टियर 2
  - ✓ एसी.थ्री.टियर 2
- अपग्रेडेशन बारी बारी से पहले जनरल पुष्ट व बाद में तत्काल पुष्ट यात्रियों का तब तक किया जायेगा जब तक सारी खाली बर्थें भर नहीं जाती या वेटिंग लिस्ट क्लीयर नहीं हो जाती।
- एक पी.एन.आर. के सभी यात्रियों को तभी अपग्रेड किया जायेगा जब सभी एक कोच में अपग्रेड हो सकते हों।
- यात्रियों को अपग्रेडेशन के बाद केबिन से साईड की या लोअर से अपर बर्थ या नॉन ए सी से ए सी कोच में बर्थ मिल सकती है किंतु यात्रि ने आरक्षण फॉर्म में अपग्रेडेशन न करने का विकल्प दिया हो तो अपग्रेडेशन नहीं किया जायेगा।
- यात्री का मूल पी.एन.आर. नहीं बदला जायेगा।
- वेटिंग लिस्ट चार्ट की तरह अपग्रेडिड यात्रियों के लिये अलग से चार्ट प्रदर्शित किया जायेगा जिसमें पुराने व नये आरक्षण का विवरण होगा।

\*\*\*

## अध्याय 27

### तत्काल सेवा

कुछ प्रमुख गाड़ियों में तत्काल आरक्षण हेतु तत्काल सेवा प्रारम्भ में दिनांक 1-1-98 से आरम्भ की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 14.11.2004 से इसे परिवर्तित कर 15.11.2004 से प्रारम्भ होने वाली गाड़ियों में नये रूप से लागू किया गया। वर्तमान में इस सेवा के प्रति लागू होने वाले नियम निम्न हैं -

#### तत्काल सेवा के नियम

---

- ▶ तत्काल सेवा के अन्तर्गत आरक्षण यात्रा की दिनांक से 5 दिन पूर्व प्रातः 8 बजे से आरम्भ किया जाएगा।
- ▶ आरक्षण “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा।
- ▶ आरक्षण गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से टर्मिनेटिंग स्टेशन तक किया जाएगा इसके अतिरिक्त यदि किसी मध्यवर्ति स्टेशन को कोई तत्काल कोटा आवंटित किया गया हो तो उस स्टेशन तक या उस स्टेशन से भी आरक्षण किया जा सकता है। यदि कोई यात्री उस स्टेशन के पूर्व ही किसी स्टेशन तक यात्रा करना चाहता है तो भी उसे औरिजनेटिंग स्टेशन से मध्यवर्ति कोटा आवंटित स्टेशन तक का किराया देना होगा। यदि यात्री मध्यवर्ति कोटा आवंटित स्टेशन से गाड़ी टर्मिनेटिंग स्टेशन के पूर्व किसी स्टेशन तक यात्रा करना चाहता हो तोभी उसे टर्मिनेटिंग स्टेशन तक का किराया देना होगा।
- ▶ तत्काल स्कीम को रश अवधि में चलायी जाने वाली विशेष गाड़ियों में भी रखा जायेगा।
- ▶ तत्काल कोटा खाली रहने पर चार्ट बनाते समय एच.ओ.आर., डिफेंस व फॉरेन टूरिस्टों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- ▶ इंटरनैट पर भी तत्काल कोटे के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त किया जा सकता है।
- ▶ जितना तत्काल कोटा है उतनी ही प्रतीक्षासूची भी रखी जायेगी। यदि प्रतीक्षासूची वाला टिकट रद्द कराया जाता है तो सी.सी. काट कर किराये की वापसी की जायेगी।
- ▶ यदि औरिजनेटिंग स्टेशन पर तत्काल कोटा खाली हो तो जनरल कोटे की प्रतीक्षासूची क्लीयर की जायेगी।
- ▶ यदि एक्सट्रा कोच लगाने की वजह से जनरल प्रतीक्षासूची क्लीयर करने के पश्चात बर्थ खाली रहती है तो उन्हें तत्काल प्रतीक्षासूची यात्रियों को आवंटित किया जायेगा।
- ▶ जनरल बर्थ का आरक्षण रद्द होने पर जनरल व तत्काल प्रतीक्षासूची के यात्रियों को बारीबारी से आवंटित किया जायेगा। एसा तबही किया जायेगा जब तत्काल प्रतीक्षासूची प्रारम्भ होती है। इसके पहले जनरल कोट की प्रतीक्षासूची क्लीयर की जायेगी। यदि किसी समय तत्काल कोटे में कोई प्रतीक्षासूची नहीं है तो जनरल प्रतीक्षासूची क्लीयर की जायेगी।
- ▶ यदि जनरल कोटे में कोई कोई प्रतीक्षासूची नहीं है किंतु तत्काल कोटे में प्रतीक्षासूची है तो चार्ट बनाते समय जनरल कोटे में रद्द होने वाली बर्थों को तत्काल प्रतीक्षासूची के यात्रियों को आवंटित किया जायेगा।

▶ मध्यवर्ति तत्काल कोटे के विरुद्ध ऑरिजनेटिंग स्टेशन से मध्यवर्ति तत्काल कोटे के स्टेशन तक तत्काल यात्रियों को आवंटित किया जायेगा।

▶ विभिन्न श्रेणियों में रखा गया तत्काल कोटा व तत्काल सेवा चार्ज निम्नानुसार है -

श्रेणी	तत्काल कोटा	तत्काल प्रभार	
		नौन पीक अवधि	शे-1 अवधि
<b>AC2T</b>	<b>4 शायिका</b>	<b>200 रु</b>	<b>300 रु</b>
<b>AC3T</b>	<b>6 शायिका</b>	<b>200 रु</b>	<b>300 रु</b>
<b>ACChC</b>	<b>6 सीट</b>	<b>75 रु</b>	<b>150 रु</b>
<b>Sleeper</b>	<b>कुल कोटे की 10% अधिकतम एक कोच</b>	<b>75 रु</b>	<b>150 रु</b>
<b>II Seat</b>	<b>10 %</b>	<b>15 रु</b>	<b>15 रु</b>

▶ यदि अप्रैल से सितम्बर 6 महिनों के दौरान तत्काल कोटे की उपयोगिता जिन गाड़ियों में 80 % या अधिक रही हो तो उन गाड़ियों में तत्काल कोटा व तत्काल चार्ज निम्नानुसार होगा -

श्रेणी	तत्काल कोटा	तत्काल चार्ज
<b>AC2T</b>	10 शायिका प्रति कोच	300 रु.
<b>AC3T</b>	16 शायिका प्रति कोच	300 रु.
<b>ACChC</b>	16 सीट प्रति कोच	150 रु.
<b>Sleeper</b>	उपलब्ध शायिकाओं की 30 %	150 रु.
<b>II Seat</b>	<b>10 %</b>	<b>15 रु</b>

▶ यदि तत्काल कोटा पूरा नहीं भर पाता है तो चार्ट बनाते समय शेन शायिकाओं को प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को बिना कोई चार्ज लिए आवंटित कर दिया जाएगा।

यदि तत्काल आरक्षित टिकट को गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व रद्द कराया जाता है तो तत्काल चार्ज को छोड़ कर कुल किराये का 25 % किराया वापस किया जायेगा। उसके बाद कोई किराया वापस नहीं किया जायेगा। किंतु यदि रेल प्रशासन यात्रियों को आरक्षित टिकट पर अप्रत्याक्षित परिस्थितियों में आरक्षित टिकट पर स्थान उपलब्ध नहीं करा पाता है या गाड़ी के 3 घंटे से अधिक विलम्ब से चलने के कारण यात्री अपनी यात्रा आरम्भ नहीं करता है तो उसे पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा। यदि स्थान उपलब्ध नहीं कराने के कारण यात्री को निम्नतर श्रेणि में यात्रा करनी पड़ती है तो उसे किराये के अंतर की वापसी करदी जाएगी।

\*\*\*\*\*